डीजी परिपत्र सं0 -30/2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकः अगस्त 01 ,2025

विषय : प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की **10 प्रमुख प्राथमिकताओं में "साइबर अपराध का मुकाबला"** पर व्यवस्थित रूप से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश।

प्रिय महोदया / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि पत्र संख्याः डीजी-आठ-94(एल0ओ0 निर्देश)/2025/875 दिनांकः **16.06.2025** के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की 10 प्रमुख प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी है, जिसमें **"साइबर अपराध का मुकाबला"** करना एक शीर्ष प्राथमिकता है।

2. उक्त प्राथमिकताओं से सम्बन्धित प्रगति हेतु दिनांकः**10.07.2025** एवं **15.07.2025** को PPT के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम हेतु क्रमशः अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम द्वारा एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा तथा दिनांकः**17.07.2025** को अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

3. उक्त प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदेश में योजनाबद्ध एवं सुनियोजित तरीके से साइबर अपराध की रोकथाम हेतु कतिपय बिन्दुओं पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

4. **सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस आयुक्त निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा समय – समय पर अवगत करायेंगेः-**

A. <u>साइबर नोडल अधिकारी (Cyber Nodal Officer) की तैनाती</u>

i. **जनपद** स्तर पर **अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी** को साइबर अपराध की रोकथाम एवं कार्यवाही हेतु **नोडल अधिकारी** नामित किया जाए एवं सम्पूर्ण कमिश्नरेट हेतु अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा कमिश्नरेट के प्रत्येक जोन में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

ii. उक्त के अतिरिक्त जनपद / कमिश्नरेट में सभी **पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी** अपने अधीनस्थ थानों के सामान्य सुपरवाइजरी अधिकारी (Circle Incharge) के साथ थाना साइबर सेल के भी सुपरवाइजरी अधिकारी होंगे।

B. <u>नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी के दायित्व</u>

➢ प्रशासनिक:

i. साइबर नोडल अधिकारी का मुख्य कार्य जनपद / कमिश्नरेट प्रभारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुये **साइबर क्राइम मुख्यालय से समन्वय** कर साइबर अपराध की रोकथाम / कार्यवाही करना होगा।

ii. **जनपद / कमिश्नरेट की साइबर सेल**, जनपदीय नोडल अधिकारी के अधीन कार्य करेगी। जनपद / कमिश्नरेट प्रभारी यथासम्भव प्रत्येक दिन नोडल अधिकारी से ब्रीफिंग लेंगे।

iii. जनपदीय साइबर थानों का समय-समय पर **निरीक्षण एवं अर्दली रूम** करना तथा पंजीकृत अभियोगों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना।

iv. **प्रत्येक थाने पर स्थापित साइबर सेल** के कार्यो का पर्यवेक्षण करना एवं उसको आममजनमानस के लिये उपयोगी बनाना। जनपद/कमिश्नरेट के साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी सभी थानों की साइबर सेल पर **तैनात पुलिस कर्मियों** की समीक्षा करेंगे कि उन्हें अपने कार्य की जानकारी है या नहीं तथा वे इस कार्य हेतु किसी स्तर से प्रशिक्षित हैं या नहीं। इसका **एक डेटाबेस** बनाएँगे।

v. कमिश्नरेट / जनपद के साइबर नोडल अधिकारी साइबर अपराध सम्बन्धी विभिन्न पोर्टलों, डेटा, प्रशिक्षण तथा जागरुकता आदि के संदर्भ में प्रत्येक माह की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति आख्या माह की 01 तारीख को पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम मुख्यालय को ई-मेल आईडी sp-cyber.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारुप साइबर क्राइम मुख्यालय शीघ्र कमिश्नरेट / जनपद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे)

➢ परिचालनिक:

i. **NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal)** पर की जाने वाली कार्यवाही की मॉनिटरिंग हेतु जोन व रेंज स्तर पर NCRP की access दे दी गई है। नोडल अधिकारी द्वारा NCRP से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर पर्यवेक्षण कर कार्य कराना।

ii. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना हेतु संचालित समन्वय **(JMIS- JCCT Management Information System), प्रतिबिम्ब, सहयोग आदि पोर्टलों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण** कर कार्यवाही कराना।

iii. साइबर क्राइम मुख्यालय से प्राप्त होने वाले कार्यवाही सम्बन्धी डेटा **(Cyber Slavery, PoS, Mule Accounts, Hot Spots)** पर कार्यवाही कराना तथा की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर साइबर क्राइम मुख्यालय को उपलब्ध कराना।

iv. साइबर क्राइम मुख्यालय से प्राप्त होने वाले साइबर अपराध सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों/पेपर कटिंग आदि पर जांच कराते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही कराना।

v. साइबर क्राइम मुख्यालय से प्राप्त होने वाले माननीय न्यायालय सम्बन्धी प्रकरणों पर जांच कराते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही कराना।

➢ प्रशिक्षण:

i. **Cy-Train प्रशिक्षण-** नोडल अधिकारी जनपद/कमिश्नरेट में सभी **थानों की साइबर सेल** पर तैनात पुलिस कर्मियों को I4C, MHA द्वारा संचालित, साइबर प्रशिक्षण के पोर्टल **CyTrain पर पंजीकृत** करवाकर निम्नानुसार प्रशिक्षण करवाएँगे ।

- प्रशिक्षण का प्रारम्भ CyTrain पोर्टल के Responder Task के Basic course से होगी। यह **कोर्स 06 घण्टे का है अतः एक ही दिन में पूरा करवाया जाए। यह इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करा लिया जाए।**

- पहले से प्रशिक्षित कर्मी भी यह कोर्स दुबारा करेंगे।

- यह कोर्स सभी को पुलिस लाइन्स के सभागार या किसी क्लासरूम में एक साथ बैठाकर करवाया जाए।

- सभी कर्मी अपना लैपटॉप या मोबाइल लेकर आयें।

- जिन कर्मियों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है उन्हें यह सुविधा प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन्स से ही उपलब्ध करवाई जाए।

- नोडल अधिकारी इस कोर्स के एक दिन पहले तक सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों को उनकी Email ID से I4C, MHA से समन्वय स्थापित कर पंजीकृत करवा लें।

- जनपद / कमिश्नरेट प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि ये प्रशिक्षित कर्मी थानों की साइबर सेल पर **न्यूनतम 02 वर्ष** तथा **अधिकतम 05 वर्ष** तक तैनात रहें।

- जनपद/कमिश्नरेट के साइबर थाने व प्रत्येक थाने में साइबर सेल के सभी अधिकारी/कर्मचारी यह कोर्स करेंगे।

- नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि तैनाती से लगभग 20% ज्यादा कर्मी प्रशिक्षित हों ताकि स्थानांतरण आदि की दशा में तुरन्त प्रशिक्षित कर्मी जा सकें।

- Responder Track के Basic course को पूरा करने के 01 माह में Intermediate course व 02 माह में Advance course भी पूर्ण करवाया जाए।

- जनपद/कमिश्नरेट में तैनात निरीक्षक स्तर के सभी अधिकारियों को इस पोर्टल पर पंजीकृत करवाया जाए और Investigation Track के Basic course को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाए, यह कार्य रोस्टर पद्धति से करवाया जा सकता है। Basic Course के 03 सप्ताह में Intermediate course व 06 सप्ताह में Advance course को किया जाए।

- Investigation Track के पूरा होने के बाद साइबर थाने के सभी कर्मियों से तथा जनपद में तैनात सभी निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को Forensic Track के Basic, intermediate of advance कोर्स पूर्ण करवाये जाए। यह प्रशिक्षण 3-4 माह में पूर्ण करवा लिया जाए।

- साइबर सेल व साइबर थानों में तैनात उप निरीक्षक भी ये कोर्स करेंगे। साइबर में कार्य करने के इच्छुक आरक्षी व मुख्य आरक्षी भी ये सारे कोर्स कर सकते हैं।

ii. Peer learning sessions- I4C, MHA द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को अपरान्ह 04:00 बजे देशव्यापी Peer learning sessions का आयोजन किया जाता है, जिसमें साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ असली घटनाओं के अनावरण आदि की जानकारी भी साझा की जाती है ये व्यवहारिक ज्ञान व कौशल हेतु अति महत्वपूर्ण है। नोडल/सहायक नोडल अधिकारी स्वयं इस सेशन में प्रतिभाग करेंगे और अपने जनपद / कमिश्नरेट के साइबर थाने / साइबर सेल के सभी कर्मियों को प्रतिभाग करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिभागियों का डेटा संगठित तरीके से रखा जाएगा और एक कॉपी साइबर क्राइम मुख्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। जोन व रेंज स्तर पर बनी साइबर सेल के कर्मी भी अवश्य इस कोर्स को करेंगे।

➢ जागरूकता:

साइबर के क्षेत्र में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक कर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य से **I4C, MHA द्वारा हर माह के प्रथम बुधवार को भी जनपदों/कमिश्नरेट्स में व्यापक जागरूकता अभियान** की अपेक्षा की गई है।

i. साइबर नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद/कमिश्नरेट के सभी थाने इस अभियान में सम्मिलित हों और अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता के प्रभावी व व्यापक कार्यक्रम करें।

ii. इसके लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ-साथ पंचायतों, स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, सामाजिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, व्यापर मण्डलों, कम्पनियों, बैंकों आदि ज्यादा से ज्यादा समूहों व वर्गों को सम्मिलित किया जाए।

iii. यह उद्देश्य होना चाहिए कि **आगामी छः माह में प्रदेश के हर घर तक साइबर जागरूकता फैलाई जाए।**

iv. नोडल अधिकारी इस पूरे अभियान का रिकॉर्ड रखेंगे और जागरूकता कवरेज का विश्लेषण कर सभी थानों को निर्देश देंगे ताकि अभियान के क्षेत्र में दोहराव ना हो और हर बार नये क्षेत्रों व नई संस्थाओं को जोड़कर अभियान किया जाए।

v. जागरूकता सामग्री हेतु जनपद/कमिश्नरेट के संसाधनों के अलावा CSR (Corporate Social Responsibility) के माध्यम से जागरूकता सामग्री तैयार की जाए।

vi. हर माह सर्वोत्तम अभियान चलाने वाले जनपद/कमिश्नरेट को पुलिस महानिदेशक के स्तर से उचित ईनाम व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

C. <u>साइबर कमाण्डो</u>

I4C, MHA द्वारा साइबर सुरक्षा व साइबर क्राइम के खतरों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए 6 माह के गहन प्रशिक्षण से Cyber Commandos तैयार किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक **15 पुलिस कर्मी Cyber Commando** का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। साइबर कमाण्डो के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायें।

i. जनपद /कमिश्नरेट्स की साइबर सेल, साइबर थाना, थाना साइबर सेल विवेचकों आदि को सहयोग प्रदान करने हेतु इनकी तैनाती साइबर क्राइम मुख्यालय स्तर से की जाएगी।

ii. सभी जोनों में **एक-एक साइबर कमाण्डो** तैनात किये जा रहे हैं व शेष **07 साइबर कमाण्डो साइबर क्राइम मुख्यालय** पर रहेंगे।

iii. जोन कार्यालय द्वारा साइबर कमाण्डो को आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाये जाएँगे और जोनल साइबर इकाई का हिस्सा बनाया जाएगा। इस उद्देश्य से सभी कमिश्नरेट अपने जोन का हिस्सा होंगे जो वे कमिश्नरेट बनने से पहले थे।

iv. जोन, रेंज व जनपद / कमिश्नरेट स्तर से सभी थानों तक साइबर कमाण्डो के नाम व मोबाइल नम्बर की जानकारी पहुंचाई जाएगी।

v. सभी जनपदों के साइबर थाने / साइबर सेल अपने थाने में साइबर कमाण्डो से तकनीकी व Cyber Forensics के बिन्दुओं में सहायता ले सकते हैं।

vi. साइबर कमाण्डो इस बात का रिकॉर्ड रखेंगे कि किस अधिकारी/कर्मचारी ने क्या-क्या सहायता ली।

vii. प्रशिक्षित साइबर कमाण्डो पुलिस कर्मियों से विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शान्ति व्यवस्था ड्यूटी न ली जाये।

viii. साइबर कमाण्डोज की तैनाती व स्थानांतरण साइबर क्राइम मुख्यालय के द्वारा किया जाएगा।

ix. साइबर कमाण्डो भी अपने स्तर से विवेचकों से बात करके विवेचनाओं की जानकारी करेंगे और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवायेंगे। इस कार्य हेतु जोन स्तर से साइबर कमाण्डो को अधिकृत किया जाए ताकि सभी विवेचक उन्हें गम्भीरता से लें।

अतः आप से अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का क़ड़ाई से अनुपालन कराते हुए साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।

प्रतिलिपिः-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।